कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड नैनीताल।

पत्रांक 1436 /ग्रा0नि0वि0/मुख्यमंत्री घोषणा/दिनांक 16/01/2020.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी,
इन्द्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 23/2019 ट्रान्सपोर्ट नगर रोड से केशवपुरम बस्ती तक वन भूमि में सड़क निर्माण हेतु 0.075 है0 वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। **(Proposal No- FP/UK/ROAD/ 42945/2019)**

सन्दर्भः– **आपकी EDS Dated: 22-11-2019**

महोदय,

उपरोक्त विषयगत सन्दर्भित प्रकरण में आपकी **EDS dated: 17-10-2019** में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण / आख्या निम्नानुसार प्रेषित है।

क.सं.	EDS	आपत्ति का निराकरण /आख्या
1.	Please show alternate alignment detail in KML file as well as GPS and Toposheet map at section C (iii, iv) in Form A, part I.	वैकल्पिक समरेंखण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र में परियोजना के निमार्ण हेतु राजस्व भूमि, सिविल भूमि, वन पचांयत एंव अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। अन्य भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है जिसका प्रमाण पत्र, प्रपत्र–10 को ऑन–लाईन फॉम A, भाग–1 में अतिरिक्त सूचना क्रम सं0 5 में तथा वैकल्पिक समरेंखण से सम्बन्धित प्रपत्र–8 एंव 9 को अतिरिक्त सूचना क्रम सं0 4 में अपलोड किया गया है। साथ ही अवगत कराना है कि उक्त मार्ग का पूर्व से ही प्रस्तावित वन भूमि पर कच्चे रूप में बना हुआ है तथा क्षेत्रवासीयों द्वारा आवागमन हेतु प्रयोग किया जाता है एंव उक्त मार्ग वृक्ष विहीन है। अतः उक्त मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखंण उपलब्ध नहीं है।
2.	Provide Separate component wise break up in B-2.4 as in following way :- i. Road. ii. Muck dumping	प्रस्तावित मार्ग तथा मक डम्पिंग का मदवार विवरण आनॅलाईन फॉम–A, भाग–1 में B-2.4 में दर्शाया गया है। मक डम्पिंग के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मक डम्पिंग कार्य हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मार्ग के निर्माण कार्य से उत्पन्न होने वाले मलवे को परियोजना स्थल में ही गड्ढा भरान, मिट्टी भरान, समतलीकरण आदि कार्यों में उपयोग किया जायेगा। अतः मक डम्पिंग को मदवार विवरण में शून्य दर्शाया गया है।
3.	User agency may review permanent employment detail at section E in Form A, part I. Please rectify.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है उक्त मार्ग निर्माण कार्य किये जाने हेतु नये स्थायी कर्मचारी/अधिकारी की भर्ती की आवश्यकता नहीं है। विभाग में पूर्व से ही कार्यरत कर्मचारीयों / अधिकारीयों द्वारा उक्त मार्ग निर्माण का कार्य किया जायेगा। अतः आनॅलाईन फॉम–A, भाग–1 के E-(ii) में स्थाई रोजगार में कर्मचारीयों / अधिकारीयों की संख्या को शून्य दर्शाया गया है।

4	Please provide village level committee (VLC) proceeding for each village separate with separate attendance sheet according to filled details B -2.3 –village wise breakup along with FRA may also be provide and upload in Para K part I.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऑनलाईन Form A, Part I में B -2.3(village wise breakup) में दर्शाया गया केशवपुरम क्षेत्र वार्ड संख्या–58, हल्द्वानी तल्ली, नगर निगम हल्द्वानी के अर्न्तगत आता है। अतः केशवपुरम क्षेत्र के पार्षद, वार्ड संख्या–58 एंव मेयर, नगर निगम हल्द्वानी तथा क्षेत्रवासियों द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत आम सभा बैठक में अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रपत्र–23 एंव 23.1 दिया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 पैरा K part I ऑनलाईन अपलोड किया गया है।
5	Original copy of the request document (As per the points mentioned above) may be submitted.	उक्त वर्णित समस्त बिन्दुओं की सूचना उक्तानुसार ऑनलाईन Form A, Part I में अपलोड कर दी गयी है। उक्त समस्त प्रमाण पत्रों को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ मूल में संलग्न किया गया है। प्रस्ताव आपके स्तर से स्वीकार किये जाने के उपरान्त आपके निर्देशानुसार मूल प्रतियों को प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में जमा कर दिया जायेगा।
6	User agency may upload/provide present status of the villages to be benefited in the uploaded KML file in Form A, Part I.	उक्त प्रस्तावित मार्ग के लाभाविन्त होने वाले ग्रांम को ऑनलाईन Form A, Part I में C-ii.1 KML फाईल में दर्शाया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में समस्त बिन्दुओं की आपत्तियों का निराकरण करते हुऐ सूचनाऐं उक्तानुसार ऑनलाईन Form A, Part I में अपलोड कर दी गयी हैं। कृपया अपने स्तर से प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करेगें।

भवदीय,

(विनीत कुरील)
अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निमार्ण विभाग,
प्रखण्ड नैनीताल।